महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प0सं0- स्था-1-ई0आई0एम0एस0/2018-19/ 4226/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित-अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

समस्त अधिकारीगण,
वाणिज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु Employee Information System (EIS) क्रियाशील है, जिसकी समीक्षा में इसे परिमार्जित कर इसमें कतिपय अन्य विवरण एवं अभिलेख भी सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसी के दृष्टिगत ई0आई0एस0 को परिमार्जित कर Employee Information & Management System (EIMS) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पूर्व से विद्यमान विवरणों के अलावा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, दण्डादेश, कोर्ट केस, विभागीय कार्यवाही, परिवाद आदि के विवरण भी अंकित एवं अपलोड करने की सुविधा समाहित गयी है।

EIMS के विवरण की शुद्धता की दृष्टि से कार्मिकों के स्तर पर यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि यदि इसमें प्रदर्शित हो रहे विवरण में सम्बन्धित कार्मिक को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सही विवरण अंकित करते हुए इससे सम्बन्धित अभिलेख भी अपलोड करना होगा। कार्मिक के प्रदर्शित हो रहे विवरण एवं अभिलेखों में ऐसा कोई अभिलेख जो अपलोड किया जाना है परन्तु अपलोड नहीं है तो उसे भी कार्मिक अपने पास उपलब्ध प्रति से स्कैन कर पी0डी0एफ0 प्रारुप में अपलोड कर सकता है। कार्मिक के स्तर पर त्रुटि सुधार एवं अभिलेख अपलोड करने की यह सुविधा दिनांक 15-01-2019 तक उपलब्ध रहेगी।

कार्मिक द्वारा अपने EIMS में किये गये संशोधन तथा मूल विवरण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के लॉगिन पर सत्यापन हेतु उपलब्ध होंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी EIMS में बनाये गये अपने लॉगिन पर प्राप्त इस प्रकार के प्रकरणों में सेवा पुस्तिका, सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपलोड किये गये अभिलेख अथवा सम्बन्धित कार्मिक से यथा आवश्यकता अन्य वांछित अभिलेख की प्रति प्राप्त कर कार्मिक द्वारा विवरण में किये गये संशोधन को सत्यापित/ अस्वीकृत करेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने की दशा में असत्यापित विवरण सम्बन्धित कार्मिक को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की गयी पृच्छा की पूर्ति हेतु उपलब्ध होगा। कार्मिक के स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कर दिये जाने पर पुन: उसका विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी की लॉगिन पर सत्यापन हेतु प्रदर्शित होने लगेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 31-01-2019 तक सम्पन्न की जायेगी।

Scanned by CamScanner

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन के उपरान्त स्थापना राजपत्रित अनुभाग द्वारा कार्मिक का विवरण अंतिम रुप से सत्यापित किया जायेगा, जिसके पश्चात् कार्मिक द्वारा किये गये अपने विवरण में संशोधन उचित पाये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक को प्रदर्शित होने लगेंगा। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, दण्डादेश, परिवाद आदि विवरण सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि अपलोड नहीं किये जाते हैं तो मुख्यालय के स्थापना राजपत्रित अनुभाग द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली / अन्य पत्रावली आदि से संतुष्ट होकर अपलोड की जायेगी। किसी कार्मिक द्वारा EIMS में प्रदर्शित हो रहे गृह जनपद एवं जन्मतिथि के सम्बन्ध में यदि कोई संशोधन कराया जाना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र सुसंगत अभिलेखों सहित नियमानुसार मुख्यालय के स्थापना राजपत्रित अनुभाग को उपलब्ध कराना होगा।

संवेदनशील प्रशासन की दृष्टि से EIMS विवरण का पूर्ण एवं सत्यापित होना अत्यन्त आवश्यक है और ''सेवा माह'' में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में यह भी एक प्रमुख कार्य है। अतः उपरोक्त कार्य को समयान्तर्गत कराये जाने में सभी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। EIMS से सम्बन्धित Process flow तथा Screen Shots विभागीय वेबसाईट के Home page पर उपलब्ध रहेगा।

21/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त:-

1- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्था0राज0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

Scanned by CamScanner